**वस्त्र मंत्रालय**

**नवम्बर, 2018 के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और उपलब्धियां**

**1. नीतिगत निर्णय:**

सीसीआईसी ने दिनांक 22 नवबर, 2018 को हुई अपनी बैठक में पैकेजिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम, 1987 के तहत पटसन वर्ष 2018-19 (दिनांक 30.11.2018 से 30.06.2019 तक) के लिए पैकेजिंग में पटसन के अनिवार्य उपयोग का विस्तार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अनुमोदन में यह अधिदेश दिया गया है कि खाद्यान्नों का 100% और चीनी उत्पादों का 20% अनिवार्य रूप से पटसन के थैलों में पैक किया जाएगा। इस निर्णय में यह अधिदेश भी दिया गया है कि शुरू में खाद्यान्नों के मांग-पत्रों का 10% जेम (GeM) पोर्टल पर रिवर्स नीलामी पर पेश किया जाएगा और चीनी को मिलों या खुले बाजार से खरीद एजेंसियों द्वारा सीधी खरीद के तहत विविधीकृत पटसन थैलों में पैक किया जाएगा।

**2. महत्वपूर्ण उपलब्धियां**:

i. **हथकरघा क्षेत्र**

(क) एमएसएमई सपोर्ट और आउटरीच कार्यक्रम के तहत 12 अभिज्ञात जिलों में संबंधित बुनकर सेवा केंद्रों के समन्वय से विभिन्न क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के शुरूआत से अब तक 2666 पहचान कार्डों, 2254 कौशल उन्नयन/वर्कशेड/लूम्स/लाइटिंग यूनिटों, यार्न पासबुक के लिए 1924, 1139 मुद्रा ऋण, सामाजिक सुरक्षा (बीमा) के लिए 1337, 50 हथकरघा मार्क/इंडिया हैंडलूम ब्रांड के लिए बुनकरों का पंजीकरण किया गया और 12800 हैंडलूम, मार्क/आईएचबी जारी किए गए हैं। 41 बुनकरों ने विपणन कार्यक्रमों में भाग लिया।

(ख) चंडीगढ़ और पूणे में नवम्बर, 2018 में राष्ट्रीय स्तर की दो विशेष हैंडलूम एक्सपो सिल्क फैब/विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिन्होंने उपभोक्ता और हथकरघा बुनकरों के बीच इंटरफेस का मंच प्रदान किया। विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 20-22 नवम्बर, 2018 तक

मेलबर्न, आस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल सोर्सिंग एक्सपो के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया।

**ii. <u>हस्तशिल्प क्षेत्र</u>:**

**(क)** अभिज्ञात 13 जिलों में एमएसएमई के लिए उचित पारिस्थितिकी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए दिनांक 2 नवंबर, 2018 को एमएसएमई सपोर्ट और आउटरीच कार्यक्रम का अभियान शुरू किया गया जो 100 दिन तक चला। कार्यक्रम के दौरान 28708 कारीगरों ने भाग लिया, मुद्रा ऋण के लिए 683 आवेदन प्राप्त हुए, पहचान आई-कार्ड के लिए 1357 आवेदन प्राप्त हुए, 980 कार्ड प्रदान किए गए और 35 आवेदन प्राप्त हुए। भोपाल, जोधपुर, अजमेर, फिरोजबाद, रामगढ़ और सहारनपुर नामक छ: और जिलों को हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए सपोर्ट और आउटरीच कार्यक्रम के लिए जोड़ा गया है। नवम्बर, 2018 के दौरान पहचान आई-कार्ड के लिए 11,269 आवेदन प्राप्त हुए, 6110 आई-कार्ड प्रदान किए गए, 3399 मुद्रा ऋण के आवेदन प्राप्त हुए, 574 कारीगरों को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/पीएमएसबीवाई के तहत पंजीकृत किया गया, 80 उन्नत किट वितरित की गई और 198 कारीगरों ने विपणन कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें 32.08 लाख रूपए की बिक्री हुई।

**(ख):** गांधी शिल्प बाजार संघटक के तहत मुंबई, गोवा, नागपुर, अहमदाबाद और अल्मोड़ा में 'दीप उत्सव' का आयोजन किया गया जिनमें कुल 431 कारीगरों ने भाग लिया जिनमें 208 लाख रुपए की बिक्री हुई।

**(iii) <u>रेशम क्षेत्र</u>:**

केंद्रीय रेशम बोर्ड/भारतीय सिल्क मार्क संगठन, हैदराबाद ने दिनांक 21 नवंबर से 4 दिसंबर, 2018 तक होटल ग्रीन पार्क, विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय स्तर की विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें 12 विभिन्न राज्यों के विभिन्न सहभागियों ने भाग लिया और अपनी शुद्ध हथकरघा रेशम उत्पादों की किस्मों को प्रदर्शित किया और इसमें लगभग 9500 उपभोक्ता आए और 140 लाख रुपए का कारोबार हुआ। इस एक्सपो में राज्य सरकारों के कई गणमान्य व्यक्ति आए और उन्होंने बुनियादी हथकरघा बुनकरों को मामूली किराए पर स्टाल प्रदान करने के लिए सीएसबी/एसएमओई द्वारा किए गए कार्य की प्रशांसा की।

**(iv)** **<u>कपास</u>**: **(क)** नवम्बर, 2018 के दौरान बीज कपास की 29.96 लाख गांठों की अखिल भारत आवक हुई। बीज कपास की इन गांठों में से 50757 गांठों को भारतीय कपास निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान के तहत खरीदा।

**(ख)** कपास मौसम 2018-19 के लिए कपास सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक दिनांक 22.11.2018 को हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वस्त्र उद्योग, कपास व्यापार और जिनिंग तथा प्रेसिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में कपास परिदृश्य के साथ-साथ कपास के राज्य-वार क्षेत्र, उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत पर चर्चा की गई थी।

**(v)** **<u>विद्युतकरघा क्षेत्र</u>:** विद्युतकरघा कामगारों की सामूहिक बीमा योजना के तहत भारत सरकार की कुल 4,48,070 रुपए के प्रीमियम की हिस्सेदारी से नवंबर, 2018 के दौरान योजना के तहत विभिन्न नोडल एजेंसियों ने 2,739 विद्युतकरघा कामगारों को पंजीकृत किया।

(vi) **<u>प्रौद्योगिकी उन्नयन</u>:** नवम्बर, 2018 के दौरान संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए-टीयूएफएस) के तहत 492.56 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 36.77 करोड़ रुपए की सब्सिडी आवश्यकता से 110 यूआईडी जारी की गई है।

****